FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान

गुलाब देवी पत्नि मेघाराम जाति जाट वगै. बनाम अर्जुनराम पुत्र बंशीलाल जाति जाट वगै.
सा. नोलासिया तह. नावां सा. नोलासिया तह. नावां

किस्म मुकदमां : 212 आरटीए मुकदमा नम्बर 0111 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
22.02.2024	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण जवाब पेश करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम चम्पापुरा के खसरा 125, 126, 131, 135, 136, 137, 138, 149, 151, 152, 419/126, 420/149 कुल रकबा 21.59 हैक्टर एवं राजस्व ग्राम नोलासिया के खसरा नम्बर 154, 155, 156 कुल रकबा 5.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 158, 159, 162, 163, 164, 165 कुल रकबा 9.98 हैक्टर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 बिना विधिवत भू–विभाजन करवाये किसी प्रकार बैचान/हस्तानांतरण/रहन नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी संख्या 40 अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात को पंजीयन हेतु स्वीकार नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 39 उक्त भूमि की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को जरिये पंजीकृत डाक नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 26.03.2024 को पेश हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
28/5/24	पत्रावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलेन्स कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इल्तवा होकर दिनाँक 29/5/24 को पेश हो।	
17/5/24	पत्रावली प्रार्थीगण द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत करने पर आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रा०पत्र पेश कर निवेदन किया है कि इस पत्रावली को आगे नहीं चलाना चाहते हैं इसलिए पत्रावली का आज तलब [illegible] किया जावें। अतः प्रार्थीगण के निवेदन [illegible] प्रार्थीगण का प्रा०पत्र [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	अंगुठा गुलाबीदेवी अंगुठा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.15 16:22:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner